राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1725/2022

सुलोचना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.05.2022
आदेश की दिनांक : 29.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2013 के विज्ञापन के अनुसार सहायक रेडियोग्राफर के पद पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9878/2015 के दिनांक 01.02.2017 द्वारा स्वीकार किए जाने पर नियुक्ति प्रदान की गई। इससे पहले भी अपीलार्थी ने एक रिट याचिका संख्या 4238/2015 दायर की थी। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 10.05.2013 की चयन सूची में उनसे कनिष्ठ उम्मीदवारों को नियुक्ति से काल्पनिक सेवा का लाभ प्रदान करने का निर्देश प्रदान किया गया। साथ ही निर्देशित किया कि अपीलार्थी वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के सभी लाभों की हकदार होगी लेकिन उसके कार्यग्रहण होने की तारीख तक वेतन के वास्तविक भुगतान की हकदार नहीं होगी (अनुलग्नक–1)। इस संबंध में माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग पर 50,000/– रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपीलार्थी को तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अनुपालना में नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति आदेश दिनांक 28.03.2017 अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। संशोधित नियुक्ति आदेश दिनांक 30.03.2017 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 28.03.2017 द्वारा सहायक रेडियोग्राफर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, उसमें क्रम संख्या 3 पर अंकित अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के स्थान पर निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर पढ़ा जाने का संशोधन किया। आदेश दिनांक 08.01.2020 (अनुलग्नक–4) द्वारा दिनांक 12.06.2017 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर पद की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम

क्रम संख्या 38–ए पर जोड़ा गया। अपीलार्थी की सेवा का निर्धारण और उसे सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए गये, जिस तारीख को उसके कनिष्ठ को स्वीकृति दी गई थी, जो आदेश दिनांक 17.08.2019 अनुलग्नक–5 पर अवलाकनीय है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2019 (अनुलग्नक–6) द्वारा नियमितीकरण के संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 03.06.2013 से काल्पनिक लाभ की गणना करते हुए एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक परिलाभ दिये जाने हेतु निर्धारित किए जाने हेतु कहा गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.05.2018 (अनुलग्नक–7) एवं आदेश दिनांक 02.02.2018 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ राजेश बेनीवाल को सहायक रेडियोग्राफर से रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी भी रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति की हकदार है। इनको पदोन्नति दिनांक 01.04.2016 से दी गई। अपीलार्थी भी प्रोबेशन अवधि पूरी होने एवं वांछित सेवा अवधि पूरी होने से अपने से कनिष्ठ को पदोन्नति दिनांक से पदोन्नति हेतु पात्र है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2021 (अनुलग्नक–9) द्वारा अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति दी गई, जबकि अपीलार्थी डीपीसी वर्ष 2015–16 की रिक्त के विरूद्ध पदोन्नति पाने की हकदार है। रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति का वित्तीय लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति होने पर वित्तीय लाभ दिए जाने हेतु अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–10)। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6487/2022 सलोचना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 (अनुलग्नक–11) द्वारा अपीलार्थी को स्वतंत्रता देते हुए माननीय अधिकरण में अपील दायर करने की अनुमति दी। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि अपील दायर की जाती है, तो उस पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाये।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 01.02.2017 के अनुसार अपीलार्थी को रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत होने से माननीय उच्च न्यायालय एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9878/2015 सुलोचना बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की अनुपालना में पदोन्नति पद के समस्त परिलाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया है। दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 38 पर अंकित अपीलार्थी से वरिष्ठ रामकरण पलसानियां तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ क्रम संख्या 39 पर अंकित राजेश बेनीवाल की पदोन्नति वर्ष 2016–17 में की गई है। अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 में दी गई पदोन्नति नियमानुसार सही है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.07.2003 के अनुसार पदोन्नत कार्मिक का पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने

पर कार्यग्रहण तिथी तक काल्पनिक रूप से वेतन नियतन किया जाता है तथा कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक परिलाभ देय होता है। अपीलार्थी को पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक परिलाभ दिये जा चुके है। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.07.2003 के बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि से नगद लाभ दिये जाने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:–

''इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात यदि किसी पश्चातवर्ती वर्ष में किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, किन नियमों के अधीन अवधारित की जाती है तो समिति ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर, जो उस वर्ष जिससे रिक्तियां संबंधित हो, में प्राप्त होते, उस वर्ष को विचार में लाये बिना विचार करेगी जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है और ऐसी पदोन्नति, पदोन्नति के लिए ऐसी कसोटी और प्रक्रिया द्वारा शातित होगी जो उस वर्ष विशेष में लागू थी जिससे रिक्तियां संबंधित है और इस प्रकार पदोन्नत किये गये पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्त्तव्यों का पालन वास्तव में नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्तियों का वेतन ऐसे वेतन पर पुर्ननिर्धारित किया जायेगा जो उसने पदोन्नति के समय प्राप्त किया होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।'' अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.07.2021 (अनुलग्नक–9) द्वारा रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति दी गई है, जबकि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति के वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 9878/2015 सलोचना बनाम राज्य में जारी आदेश दिनांक 01.02.2017 के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि पदोन्नति पर वित्तीय लाभ प्रदान किए जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर आदेश दिनांक 28.03.2017 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9878/2015 सुलोचना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017 की अनुपालना में नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया:–

"In the circumstances, the impugned order dated 9-7-2015 is quashed and set aside. It is directed that the petitioner be appointed on the post of assistant Radiographer with the department of Medical & Health Services Rajasthan as per her merit in select-list dated 10-5-2013 within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order. The petitioner's appointment will be effective from the date when candidates junior to her in select-list dated 10-05-2013 were appoineted. she will be entitled to all benefits of seniority and pay fixation, but not to actual payment of salary till the date of her joining.

The petition stands accordingly allowed with cost of Rs. 50,000/- to be paid to the petitioner within nintety days"

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को उक्त निर्णय की अनुपालना में नियुक्ति के पश्चात वरिष्ठता एवं अन्य वित्तीय परिलाभ स्वीकृत किए जा चुके है। वरिष्ठता सूची में सहायक रेडियोग्राफर के पद की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 38–ए पर जोड़ा गया, और अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय की अनुपालना में दिनांक 03.06.2013 से काल्पनिक लाभ की गणना करते हुए एवं कार्यग्रहण तिथी से वास्तविक लाभ प्रदान किए जा चुके है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2018 द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की रेडियोग्राफर की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक रेडियोग्राफर की वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाकर पदस्थापन आदेश जारी किए गए। इसमें अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया, परन्तु आदेश दिनांक 22.07.2021 द्वारा अपीलार्थी को रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। यद्यपि इस पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि पदोन्नति किस रिक्ति वर्ष के विरूद्ध की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसे डीपीसी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति दी गई है। अतः उससे कनिष्ठ कार्मिक राजेश बेनीवाल को दिए गए लाभ के अनुसार ही वित्तीय लाभ प्रदान किए जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया है। दिनांक 01.04. 2015 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 38 पर अंकित अपीलार्थी से वरिष्ठ रामकरण पलसानियां तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ क्रम संख्या 39 पर अंकित राजेश बेनीवाल की पदोन्नति वर्ष 2016–17 में की गई है। अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 में दी गई पदोन्नति नियमानुसार सही है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.07.2003 के अनुसार कार्मिक का पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने पर कार्यग्रहण तिथी तक काल्पनिक रूप से वेतन नियतन किया जाता है तथा कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक परिलाभ देय होता है। अपीलार्थी को पदोन्नति पर तद्नुसार कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक परिलाभ दिये जा चुके है। माननीय उच्च न्यायालय एस. बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9878/2015 सुलोचना बनाम राजस्थान राज्य में पारित

निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी को समस्त परिलाभ और वरिष्ठता दी जा चुकी है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.07.2003 के अनुसार अपीलार्थी को पदोन्नति पर लाभ दिया जा चुका है।

उपलब्ध तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि पदोन्नति पद वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण करने की तिथी से देय होने से यदि पदोन्नति किसी पूर्व तिथी से की गई है, तो उस तिथी से कार्यग्रहण करने की तिथी तक काल्पनिक वेतन नियतन किया जाकर कार्यग्रहण करने की तिथी तक वास्तविक लाभ दिए जाते है, जो अपीलार्थी को दिए जा चुके है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य